फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर, (SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी : श्री मोहन | **विपक्षी : श्री शंकर**

किस्म मुकदमा — 88,188 रा.का.अ. | **पत्रावली संख्या : 79/22**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई

दिनांक : 10.04.2023

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादीगण व राजपेरोकार उपस्थित। प्रतिवादी सं. 1 से 30 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्व पूर्व में एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये जा चुके हैं। राजपेरोकार मावली द्वारा जवाब पेश कर प्रकरण का मेरिट पर निस्तारण किया जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता वादीगण व राजपेरोकार की बहस सुनी गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से वादग्रस्त भूमि पूर्व में प्रतिवादी सं. 1 से 5 के पिता व प्रतिवादी सं. 6 से 24 के दादा डुंगा पिता अमरा एवं प्रतिवादी सं. 25 से 30 के नाम हिस्सेनुसार दर्ज थी जो डुंगा की मृत्यु के बाद विरासत से उनके वारिसों के नाम हिस्सेनुसार दर्ज हो गई। वर्तमान में वादग्रस्त भूमि डुंगा के वारिस प्रतिवादी सं. 1 से 20 व प्रतिवादी सं. 21 से 24 के पिता/पति प्रेम व खातेदार प्रतिवादी सं. 25 से 30 के नाम हिस्सेनुसार दर्ज हैं जो दस्तावेज प्रदर्श 1 से स्पष्ट होता है। वादग्रस्त भूमि को डुंगा पिता अमरा एवं पुष्कर, नन्दलाल, रोशनी पिता बाबरू, गागुडी पत्नी बाबरू, पुष्कर, नन्दलाल, रोशनी ना.बा.संरक्षक माता गागुडी, वरदा पिता जेता, राधी पिता जेता द्वारा दिनांक 03.07.2008 को वादी सं. 1 से 3 एवं वादी सं. 4 से 7 के पिता प्रेमा को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से विक्रय कर दी थी, जो दस्तावेज प्रदर्श 2ए से जाहिर होता हैं। डुंगा फौत होने से डुंगा के वारिस गमाना, चोखली, टमुडी, प्रेम, वसनी, कालु, शंकर, सोवनी हुए। गमाना, प्रेम, कालु फौत हो चुके हैं, इनके वारिस प्रतिवादी सं. 6 से 24 हैं। अतः डुंगा के वारिस प्रतिवादी सं. 1 से 24 होना जाहिर होता हैं। पत्रावली के अवलोकन से विक्रय का नामान्तरकरण पारित नहीं होने से वादग्रस्त भूमि डुंगा के वारिस प्रतिवादी सं. 1 से 20 एवं प्रतिवादी सं. 21 से 24 के पिता/पति प्रेम व खातेदार प्रतिवादी सं. 25 से 30 के नाम चली आ रही हैं। वादीगण द्वारा घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया है। वादीगण द्वारा अपने वाद पत्र के समर्थन में साक्ष्य वादी शपथ पत्र पीडब्ल्यू 1 श्री केसु का पेश किया। वादी द्वारा दस्तावेज जमाबन्दी नकल प्रदर्श 1, विक्रय पत्र दिनांक 03.07.2008 प्रदर्श 2ए पेश किये। वादी सं. 1 से 3 एवं वादी सं. 4 से 7 के पिता द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से भूमि क्रय की हैं। वादीगण एक सद्भावी क्रेता हैं। वादीगण द्वारा पूर्णप्रतिफल अदा कर भूमि क्रय की हैं। राजपेरोकार मावली द्वारा जवाब पेश कर प्रकरण को मेरिट पर निस्तारण किया जाने का निवेदन किया। ग्राम पंचायत गुडली द्वारा जारी सजरा प्रमाण पत्र ग्राम पं. /गुडली/2022–23/SPL दिनांक 03.01.23 द्वारा डुंगा के विधिक वारिस प्रतिवादी सं. 1 से 24 को ही माना हैं। अतः वादीगण वादग्रस्त भूमि की घोषणा करा जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिवादी सं. 1 से 30 को पाबंद कराने का अधिकारी हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण का वाद स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

:: **आदेश** ::

परिणामस्वरूप वाद वादीगण स्वीकार कर डिक्री किया जाता है कि मौजा रेबारियों की ढाणी पटवार हल्का गुडली की आराजी नम्बर 882, 883, 884 किता 3 रकबा 1.0279 हेक्टेयर भूमि में प्रतिवादी सं. 1 से 20 एवं प्रतिवादी सं. 21 से 24 के पिता/पति प्रेम एवं प्रतिवादी सं. 25 से 30 के बजाय रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 03.07.2008 के आधार पर वादी सं. 1 से 3 को 1/4–1/4 एवं वादी सं. 4 से 7 को संयुक्त रूप से 1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। प्रतिवादी सं. 1 से 30 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादीगण के कब्जे काश्त में दखल अंदाजी नहीं करें, वादीगण को भूमि का शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवें। डिक्री पृथक से बने। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले ईजलास लिखवाया जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shrikant Vyas
Date: 2023.04.18 10:58:09 IST
Reason: SelfAttested

(श्रीकान्त व्यास)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

मूल वाद में डिक्री
न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली, जिला–उदयपुर
पीठासीन अधिकारी : श्री श्रीकान्त व्यास, R.A.S.
मुकदमा नम्बर : 79/22 (वाद) GCMS No. : 2022/205

उनवान

1. श्री मोहन पिता भेरा भील निवासी गुडली तह. मावली।
2. श्री केशा पिता भेरा भील निवासी गुडली तह. मावली।
3. मु. भुरी बेवा भेरा भील निवासी गुडली तह. मावली।
4. श्री महेन्द्र पिता स्व. प्रेमा ना.बा.ब.वि. माता मांगी पत्नी भेरा भील निवासी गुडली तह. मावली।
5. श्री कालु पिता स्व. प्रेमा ना.बा.ब.वि. माता मांगी पत्नी भेरा भील निवासी गुडली तह. मावली।
6. चंचल पुत्री स्व. प्रेमा ना.बा.ब.वि. माता मांगी पत्नी भेरा भील निवासी गुडली तह. मावली।
7. श्रीमती मांगी पत्नी स्व. प्रेमा भील निवासी गुडली तह. मावली।

..................वादीगण

बनाम

1. श्री शंकर पिता डुंगा भील निवासी गुडली तह. मावली।
2. टमुडी पुत्री डुंगा भील निवासी गुडली तह. मावली।
3. सोवनी पुत्री डुंगा भील निवासी गुडली तह. मावली।
4. वसनी पुत्री डुंगा भील निवासी गुडली तह. मावली।
5. श्रीमती चोकली पत्नी डुंगा भील निवासी गुडली तह. मावली।
6. श्रीमती नाथीबाई पत्नी गमाना भील निवासी गुडली तह. मावली।
7. श्रीमती कुसबाबाई पत्नी गमाना भील निवासी गुडली तह. मावली।
8. कमला पुत्री गमाना भील निवासी गुडली तह. मावली।
9. पिन्टुबाई पुत्री गमाना भील निवासी गुडली तह. मावली।
10. दुर्गाबाई पुत्री गमाना भील निवासी गुडली तह. मावली।
11. लालीबाई पुत्री गमाना भील निवासी गुडली तह. मावली।
12. बेबीबाई पुत्री गमाना भील निवासी गुडली तह. मावली।
13. श्री राजु उर्फ नरेश पिता गमाना भील निवासी गुडली तह. मावली।
14. श्री रोशन पिता गमाना भील निवासी गुडली तह. मावली।
15. वगतुबाई पुत्री कालु भील निवासी गुडली तह. मावली।
16. श्री लालुराम पिता कालु भील निवासी गुडली तह. मावली।
17. श्री मुकेश पिता कालु भील निवासी गुडली तह. मावली।
18. श्री लोकेश पिता कालु भील निवासी गुडली तह. मावली।
19. डाली पुत्री कालु भील निवासी गुडली तह. मावली।
20. सुगना पुत्री कालु भील निवासी गुडली तह. मावली।
21. श्रीमती अनुडी पत्नी प्रेम भील निवासी गुडली तह. मावली।
22. श्री जगदीश पिता प्रेम भील निवासी गुडली तह. मावली।
23. भावना पुत्री प्रेम भील निवासी गुडली तह. मावली।
24. कृष्णा पुत्री प्रेम भील निवासी गुडली तह. मावली।
25. श्री पुष्कर पिता बाबरू भील निवासी गुडली तह. मावली।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shrikant Vyas
Date: 2023.04.18 10:58:09 IST
Reason: Self Attested

26. श्री नन्दलाल पिता बाबरू भील निवासी गुडली तह. मावली।
27. रोशनी पुत्री बाबरू ना.बा.ब.वि. माता गागुडी पत्नी बाबरू भील निवासी गुडली तह. मावली।
28. श्रीमती गागुडी पत्नी बाबरू भील निवासी गुडली तह. मावली।
29. श्री वरदा पिता जेता भील निवासी गुडली तह. मावली।
30. राधी पुत्री जेता भील निवासी गुडली तह. मावली।
31. पटवारी, पटवार हल्का गुडली तह. मावली।
32. उप पंजीयक अधिकारी मावली तह. मावली।
33. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तह. मावली।

.....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह मुकद्धमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु श्रीकान्त व्यास, R.A.S. मिनजानिब मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :–

वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा रेबारियों की ढाणी पटवार हल्का गुडली की आराजी नम्बर 882, 883, 884 किता 3 रकबा 1.0279 हेक्टेयर भूमि में प्रतिवादी सं. 1 से 30 के बजाय रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 03.07.2008 के आधार पर वादी सं. 1 से 3 को 1/4–1/4 एवं वादी सं. 4 से 7 को संयुक्त रूप से 1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। प्रतिवादी सं. 1 से 30 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादीगण के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी नहीं करें, वादीगण को भूमि का शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 10.04.2023 को जारी की गई।

(श्रीकान्त व्यास)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Shrikant Vyas
Date: 2023.04.18 10:58:09 IST
Reason: SelfAttested